संख्या-147 /2018/ 3905 /30-3-18-06बी/2018

प्रेषक,

विनोद कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 14 दिसम्बर, 2018

विषय- उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 13-09-2018 के अनुमोदन के क्रम में जनपद-देवीपाटन (गोण्डा), मुजफ्फरनगर (सहारनपुर) व बस्ती में ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना हेतु कार्यदायी संस्था का नामांकन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के पत्र संख्या-जी0 385(2)ए/2018-84स0सु0/2015, दिनांक 13-11-2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-देवीपाटन (गोण्डा), मुजफ्फरनगर (सहारनपुर) व बस्ती में ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना हेतु उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0,लखनऊ को एतदद्वारा कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है।

भवदीय,
ह0/-
(विनोद कुमार)
उप सचिव।

संख्या-147/2018/3905(1)/30-3-2018, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख अभियन्ता विकास एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
2- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देवीपाटन (गोण्डा), मुजफ्फरनगर (सहारनपुर) व बस्ती ।
4- प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग।
5- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था-उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0,लखनऊ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(विनोद कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।